

अध्याय III

निगम कर

अध्याय सार

इस प्रतिवेदन में मंत्रालय को, उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए अगस्त तथा नवम्बर 2010 के बीच जारी ₹ 2,104.1 करोड़ के कर प्रभाव वाले 288 उच्च मूल्य के मामले शामिल हैं। मंत्रालय ने दिसम्बर 2010 तक ₹ 248.4 करोड़ के राजस्व प्रभाव वाले 95 मामलों में अभ्युक्तियां स्वीकार कर ली हैं।

(पैराग्राफ 3.1 तथा 3.1.2)

गलत निर्धारण के ये मामले आयकर विभाग द्वारा प्रयोग की जा रही निर्धारण प्रक्रिया पर आन्तरिक नियंत्रण में कमजोरियों की ओर इशारा करते हैं। निर्धारणों में प्रमुख गलतियां निम्न के कारण थीं :

- ◆ ₹ 16 करोड़ के कर प्रभाव वाले आठ मामलों में आय तथा कर की संगणना में गणितीय त्रुटियां।

(पैराग्राफ 3.2.1)

- ◆ ₹ 4.6 करोड़ के कर प्रभाव वाले दो मामलों में कर तथा अधिभार की गलत दरें लागू करना।

(पैराग्राफ 3.2.2)

- ◆ ₹ 15 करोड़ के कर प्रभाव वाले आठ मामलों में ब्याज के उद्ग्रहण में गलतियां।

(पैराग्राफ 3.2.3 तथा 3.2.4)

- ◆ ₹ 753.2 करोड़ के कर प्रभाव वाले 24 मामलों में अनियमित छूटें/कटौतियां।

(पैरा 3.3.1)

- ◆ ₹ 634.6 करोड़ के कर प्रभाव वाले 70 मामलों में कारोबार व्यय की गलत अनुमति।

(पैरा 3.3.2)

- ◆ ₹ 305.8 करोड़ के कर प्रभाव वाले 43 मामलों में मूल्यहास तथा कारोबार हानि/पूँजीगत हानि की अनुमति, अग्रेनयन तथा समंजन में गलतियां।

(पैरा 3.3.3)

- ◆ ₹ 27.6 करोड़ के कर प्रभाव वाले 14 मामलों में विशेष प्रावधानों के अधीन आय निर्धारित नहीं की गई थी/कम निर्धारित की गई थी।

(पैरा 3.4.1)

- ◆ ₹ 75.9 करोड़ के कर प्रभाव वाले 11 मामलों में अधिक कर उद्ग्रहीत किया गया था।

(पैराग्राफ 3.5)

अध्याय III

निगम कर

3.1 लेखापरीक्षा परिणाम


इस प्रतिवेदन में मंत्रालय¹⁹ को, उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए अगस्त तथा नवम्बर 2010 के बीच जारी ₹ 2,104.1 करोड़ के कर प्रभाव वाले 288 उच्च मूल्य के मामले शामिल हैं।

3.1.2 मंत्रालय ने दिसम्बर 2010 तक ₹ 248.4 करोड़ के कुल राजस्व प्रभाव वाले 95 मामलों में हमारी अभ्युक्तियां स्वीकार करते हुए 99 मामलों²⁰ के संबंध में उत्तर दिए हैं। 95 मामलों में से विभाग ने ₹ 216.7 करोड़ के कर प्रभाव वाले 75 मामलों में उपचारी कार्रवाई²¹ पूर्ण कर ली और ₹ 20.7 करोड़ के कर प्रभाव वाले 14 अन्य मामलों में उपचारी कार्रवाई आरम्भ की। इन मामलों का इस प्रतिवेदन के अध्याय II के पैराग्राफ 2.5.4, 2.5.5 तथा 2.5.6 में वर्णन किया गया है। मंत्रालय के उत्तरों की, जहां कहीं प्राप्त हुए, जांच की गई है और इस प्रतिवेदन में उचित रूप से शामिल किए गए हैं।

3.1.3 यह अध्याय 199 मामलों की चर्चा करता है जिनमें से 184 मामलों में ₹ 1,784.8 करोड़ का अवप्रभार शामिल है तथा 15 मामलों में ₹ 82 करोड़ का अधि-प्रभार²² शामिल है। अधिकांश निर्धारणों में त्रुटियां अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद की गई थीं। गलत निर्धारण के ये मामले आयकर विभाग द्वारा प्रयोग की जा रही निर्धारण प्रक्रिया पर आन्तरिक नियंत्रण में कमजोरियों की ओर इशारा करते हैं।

3.1.4 गलतियों की श्रेणियां व्यापक रूप से निम्नवत वर्गीकृत की गई हैं:

- संगणना में त्रुटियां तथा चूकें,
- निर्धारितियों को दी गई अयोग्य रियायतें,



¹⁹ वित्त मंत्रालय, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।

²⁰ विभाग ने निर्धारण अधिकारी की सीमाओं का हवाला देकर सैद्धान्तिक मामले के रूप में तीन संक्षिप्त रूप से संसाधित मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार नहीं की हैं। तथापि मामले के तथ्यों का विरोध किए बिना सुधारात्मक कार्रवाई आरम्भ/पूर्ण की गई है।

²¹ निर्धारण अधिकारी(एओ) निर्धारितियों को नोटिस जारी करने के द्वारा उपचारी कार्रवाई आरम्भ करता है जिसे तब अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है। सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद एओ कर/प्रतिदाय की संशोधित मांग करते हुए सुधारात्मक कार्रवाई करता है। इस चरण को उपचारी कार्रवाई की गई, कहा जाता है।

²² अतिभार आय की गणना में गणितीय त्रुटियों, दरों के गलत प्रयोग, ऋण के अधित्याग के कारण निर्धारित न की गई आय/आय के रूप में न माना गया ब्याज, ब्याज के अधिक उद्ग्रहण के कारण हैं।

- निर्धारित न की गई/अवनिर्धारित आय, एवं
- अन्य²³

श्रेणीवार ब्यौरे (कर प्रभाव) चार्ट 3.1 में दर्शाए गए हैं। इस अध्याय के बाद के खण्डों में प्रत्येक श्रेणी के संबंध में पहला पैराग्राफ निर्धारण अधिकारी (एओ) द्वारा की गई गलतियों का स्वरूप दर्शाता है। यह प्रस्तावना से प्रारम्भ होता है उसके बाद समान प्रकृति की सभी अभ्युक्तियों का मिला जुला राजस्व प्रभाव आता है। चार श्रेणियों को आगे उप विभाजित किया गया है और उप श्रेणीवार वर्णन भी दिया गया है। रूचिकर मामलों को इस अध्याय के बाद के पैराग्राफों में सोदाहरण दिया गया है।


3.2 संगणना में त्रुटियां/चूकें

निर्धारण अधिकारियों को निर्धारिती की कुल आय का सही निर्धारण करना है और निर्धारिती द्वारा देय कर की सही राशि निश्चित करनी है।

14 और चार मामलों में क्रमशः ₹ 29.5 करोड़ के कर का अवनिर्धारण तथा ₹ 6.1 करोड़ के कर का अतिप्रभार हुआ था। उप श्रेणीवार ब्यौरे (कर प्रभाव पर आधारित) चार्ट 3.2 में दर्शाए गए हैं। चार उप श्रेणियों पर नीचे चर्चा की गई है:

हमने पाया कि ऐसे मामले थे जहां निर्धारण अधिकारियों ने गलत संख्या अपनाई, गणितीय त्रुटियां कीं, गलत दरें लागू कीं, परिणामस्वरूप दिल्ली, गुजरात, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में 18 मामलों में ₹ 35.6 करोड़ का कर प्रभाव हुआ।

चार्ट 3.2 : संगणनाओं में त्रुटियां तथा चूकें



3.2.1 आय तथा कर की गणना में गणितीय त्रुटियां

निर्धारण अधिकारियों ने दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में ₹ 16 करोड़ के कर प्रभाव वाले आठ मामलों में आय तथा कर की संगणना में गणितीय त्रुटियां कीं। एक मामले का उदाहरण नीचे दिया गया है।

प्रभार: आसनसोल, पश्चिम बंगाल, निर्धारण वर्ष: 2003-04

अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार निर्धारण अधिकारियों को निर्धारिती की कुल आय का सही निर्धारण करना है और निर्धारिती द्वारा देय कर की सही राशि निश्चित करनी है।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड²⁴ के मामले में निर्धारण अधिकारी ने ₹ 10.9 करोड़ की सही संख्या के स्थान

²³ चार्ट में दर्शाई गई रेणी "अन्य" में अपीलीय आदेशों का प्रभाव देते समय निर्धारण में गलतियों, टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानों को लागू करने में चूक से संबंधित मामले तथा कर के अति प्रभार और ऋण की माफी/अधित्याग/निर्धारित न की जा रही ऋण पर ब्याज से सम्बन्धित मामले शामिल हैं।

²⁴ मार्च 2006 में ₹ 541.9 करोड़ की अग्रेनीत हानि के समंजन के बाद आय "शून्य" पर निर्धारित की गई।

पर ₹ 1.1 करोड़ के रूप में अंतिम स्टॉक का मूल्य लिया। इसके अलावा अस्वीकृत ₹ 3.3 करोड़ के कारों के किराया प्रभार आय की संगणना में वापस नहीं जोड़े गए थे परिणामस्वरूप ₹ 4.8 करोड़ के सम्भावित कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

3.2.2 कर तथा अधिभार की गलत दर का प्रयोग

हमने पाया कि निर्धारण अधिकारियों ने गुजरात तथा महाराष्ट्र में ₹ 4.6 करोड़ के कर प्रभाव वाले दो मामलों में कर तथा अधिभार की गलत दरें लागू कीं। एक मामले का उदाहरण नीचे दिया गया है।

प्रभार: सीआईटी-II, मुम्बई, महाराष्ट्र, निर्धारण वर्ष 2003-04

धारा 2(42ए) "लघु अवधि पूंजीगत परिसम्पत्ति" को ऐसी परिसम्पत्ति के रूप में परिभाषित करती है जो छत्तीस माह के अन्दर निर्धारित द्वारा बेची गई है। धारा 4 प्रभारित किए जाने वाले आयकर की दर निर्धारित करती है।

लार्ड कृष्णा बैंक लिमिटेड²⁵ (अब एचडीएफसी बैंक लिमिटेड) की कर योग्य आय में ₹ 7.4 करोड़ का लघु अवधि पूंजीगत अभिलाभ शामिल था जिसपर 35 प्रतिशत की लागू दर के स्थान पर 10 प्रतिशत की दर पर कर प्रभारित किया

गया। कर की दर के गलत प्रयोग के परिणामस्वरूप ₹ 2.7 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

3.2.3 ब्याज के उद्ग्रहण में गलतियां

हमने दिल्ली, गुजरात तथा महाराष्ट्र में ₹ 8.5 करोड़ के कुल कर प्रभाव के पांच मामलों में आय की विवरणी दाखिल करने और अग्रिम कर के भुगतान में विलम्बों के लिए ब्याज का कम उद्ग्रहण देखा। एक मामले का उदाहरण नीचे दिया गया है।

प्रभार: सीआईटी-III दिल्ली, निर्धारण वर्ष 1998-99

धारा 234ए प्रावधान करती है कि जहां विवरणी देय तिथि के बाद भेजी जाती है या भेजी नहीं जाती है वहाँ निर्धारित दरों पर ब्याज प्रभारित किया जाता है। ऐसे मामलों में धारा 144 प्रावधान करती है कि निर्धारण अधिकारी समुचित निर्णय के अनुसार निर्धारण कर सकता है।

सर्वोदय रीयल्टर्स (प्रा.) लिमिटेड²⁶ का निर्धारण मार्च 2006 में "समुचित निर्णय" के आधार पर पूर्ण किया गया था। निर्धारित ने विवरणी दाखिल नहीं की थी तथापि, कोई ब्याज उद्ग्रहीत नहीं किया गया था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 6.2 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ।

²⁵ दिसम्बर 2008 में ₹42.2 करोड़ की आय पर निर्धारित।

²⁶ मार्च 2006 में ₹14.6 करोड़ की आय पर निर्धारित।

3.2.4 अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदायों पर ब्याज

हमने पाया कि केरल, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा में तीन मामलों में ₹ 6.5 करोड़ के कर प्रभाव के साथ अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदायों पर ब्याज उद्ग्रहीत किया गया था। दो मामलो के उदाहरण नीचे दिए गए हैं।

ए. प्रभार: एलटीयू मुम्बई, महाराष्ट्र, निर्धारण वर्ष 2006-07

धारा 234 डी के अनुसार यदि संक्षिप्त निर्धारण के बाद नियमित निर्धारण पर कोई प्रतिदाय देय नहीं है तब संक्षिप्त निर्धारण के समय पर उसको दिए गए प्रतिदाय पर निर्धारित ब्याज का भुगतान करने का दायी होगा।

डिपोजिट इश्योरेंश क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन लिमिटेड²⁷ के मामले में संक्षिप्त निर्धारण के समय पर ₹ 14.5 करोड़ का प्रतिदाय दिया गया था। संवीक्षा निर्धारण में निर्धारित आय बढ़ गई और परिणामस्वरूप निर्धारित को कोई प्रतिदाय देय नहीं था। निर्धारण अधिकारी ने

₹ 7.4 करोड़ के प्रभार्य ब्याज के प्रति ऐसे प्रतिदाय पर ₹ 11.3 करोड़ का ब्याज गलत रूप से प्रभारित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.9 करोड़ के ब्याज का अतिप्रभार हुआ।

बी. प्रभार: कोच्चि, केरल, निर्धारण वर्ष: 1996-97

धारा 244ए प्रावधान करती है कि जहां निर्धारित को प्रतिदाय की कोई राशि देय होती है वहां वह निर्धारण वर्ष के अप्रैल के पहले दिन/कर के भुगतान की तारीख से प्रतिदाय दिए जाने की तारीख तक निर्धारित दरों पर ब्याज का हकदार होगा।

फेडरेल बैंक लिमिटेड²⁸ का निर्धारण दिसम्बर 2007 में अनेक संशोधनों के बाद पूर्ण किया गया था। निर्धारण अधिकारी ने निर्धारित को देय ब्याज की गणना करते समय ₹ 29.9 करोड़ के प्रतिदाय की तारीख की गलती से 18 मई 2002 के रूप में

गणना की जबकि प्रतिदाय 18 मई 2001 को किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.6 करोड़ का अधिक ब्याज दिया गया।

²⁷ आरम्भ में संक्षिप्त रीति में ₹ 2,626.2 करोड़ की आय पर निर्धारित। बाद में दिसम्बर 2008 में संवीक्षा निर्धारण में ₹ 3,071.3 करोड़ की आय पर निर्धारित।

²⁸ मूल संवीक्षा निर्धारण मार्च 1999 में पूर्ण किया गया था। दिसम्बर 2007 में किए गए नवीन संशोधन के परिणामस्वरूप ₹ 5.9 करोड़ का प्रतिदाय हुआ।


3.3 निर्धारितियों को दी गई अयोग्य रियायतें

अधिनियम के अध्याय VIए के अन्तर्गत कुल आय और अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत व्यय की कुछ श्रेणियों की गणना करने में निर्धारितियों को कटौतियां अनुमत की जाती हैं।

हमने देखा कि आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, गुजरात, गोवा, हरियाणा, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और पश्चिम

बंगाल में ₹ 1,693.6 करोड़ के कर प्रभाव वाले 137 मामलों में निर्धारितियों को अयोग्य रियायतें दी गई थी। उप श्रेणीवार ब्यौरे (कर प्रभाव पर आधारित) चार्ट 3.3 में प्रदर्शित किए गए हैं। उप श्रेणियों पर नीचे चर्चा की गई है:

चार्ट 3.3: निर्धारितियों को अयोग्य रियायतें



3.3.1 अनियमित रियायतें/कटौतियां

अधिनियम व्यय की कुछ श्रेणियों की निर्धारितियों की आय से कटौतियां अनुमत करता है। हमने पाया कि आंध्रप्रदेश, असम, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में 24 मामलों में निगम निर्धारितियों को ₹ 753.2 करोड़ के कर प्रभाव वाली अनियमित रियायतें/कटौतियां दी गई थीं। तीन मामलों के उदाहरण नीचे दिए गए हैं।

ए: प्रभार सीआईटी-I, दिल्ली, निर्धारण वर्ष 2007-08

धारा 80आईए के अनुसार इस धारा के प्रावधानों के अन्तर्गत आधारभूत ढांचा विकास में लगे औद्योगिक उपकरणों या उद्यमों से लाभों तथा अभिलाभों के संबंध में निर्धारितियों को कटौतियां अनुमत की जाती हैं।

भारत संचार निगम लिमिटेड²⁹ के मामले में धारा 80आईए के अन्तर्गत कटौती गलत रूप में संगणित की गई थी। ₹ 8,878.6 करोड़ की सही राशि के स्थान पर ₹ 11,664.9 करोड़ की कटौती अनुमत की गई थी

परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 567.6 करोड़ के कर के कम उद्ग्रहण के साथ ₹ 2,786.3 करोड़ की आय का अवनिर्धारण हुआ।

बी. प्रभार: सीआईटी-II, मुंबई, महाराष्ट्र, निर्धारण वर्ष 2005-06

धारा 36(1)(VIIए) के अनुसार बैंकों को कुल आय की विशेष प्रतिशतता पर अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों का प्रावधान अनुमत किया जाता है और धारा 36(1)(VII) के अनुसार अशोध्य ऋणों के प्रति कटौती केवल तभी अनुमत की जाती है यदि निर्धारितियों ने ऐसे अशोध्य ऋणों की राशि अशोध्य ऋणों के प्रावधान को डेबिट की थी।

बैंक ऑफ बडोदा³⁰ को अशोध्य ऋणों के प्रावधान में अथशेष की गलत संख्या अपनाने के कारण ₹ 5.2 करोड़ की अनुज्ञेय कटौती के प्रति

²⁹ दिसम्बर 2009 में ₹ 2,302.4 करोड़ की आय पर निर्धारित।

³⁰ दिसम्बर 2008 में ₹ 805.5 करोड़ की आय पर निर्धारित।

₹ 103.6 करोड़ की अशोध्य तथा संदिग्ध ऋणों की अधिक कटौती अनुमत की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 39 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

सी. प्रभार: सीआईटी- सेलम I, तमिलनाडु, निर्धारण वर्ष: 2006-07

धारा 80 आईए के अनुसार आधारभूत ढांचा विकास में लगे औद्योगिक उपक्रमों या उद्यमों से लाभों तथा अभिलाभों के संबंध में निर्धारितियों को उनकी सकल कुल आय पर कटौतियां अनुमत की जाती हैं। धारा 80बी के अनुसार कुल आय का अर्थ अग्रेनीत कारबार हानियों तथा अनावशोषित मूल्यहास के समंजन के बाद अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संगणित कुल आय से है।

मद्रास एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड³¹ को अग्रेनीत कारोबार हानि तथा अनावशोषित मूल्यहास का समंजन किए बिना ₹ 108.8 करोड़ की कटौती अनुमत की गई थी। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 36.4 करोड़ के सम्भावित कर प्रभाव के साथ कारोबार आय का अवनिर्धारण हुआ।

3.3.2 कारोबार व्यय की गलत अनुमति

हमने आंध्रप्रदेश, असम, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में ₹ 634.6 करोड़ के कर प्रभाव वाले व्यय की अनियमित अनुमति के 70 मामलों का पता लगाया। उदाहरणस्वरूप एक मामला नीचे दिया गया है।

प्रभार: सीआईटी-I, चेन्नई, तमिलनाडु, निर्धारण वर्ष: 2006-07

धारा 43बी के प्रावधानों के अनुसार कुछ व्यय की कटौती केवल तभी अनुमत की जाती है जब उसका पूर्व में वास्तव में भुगतान किया गया हो।

तमिलनाडु इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड³² को विद्युत कर के भुगतान के प्रति ₹ 181.9 करोड़ का व्यय अनुमत किया गया था यद्यपि यह सरकारी खाते में जमा नहीं किया गया था। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 61.2 करोड़ के सम्भावित कर

का कम उद्ग्रहण हुआ।

3.3.3 मूल्यहास/कारोबार हानियां/पूँजीगत हानियां अनुमत करने में अनियमितताएं

निर्धारण अधिकारियों ने मूल्यहास तथा कारोबार हानि/पूँजीगत हानि अनुमति, अग्रेनयन तथा संमंजन में गलतियां कीं। हमने आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में ₹ 305.8 करोड़ के कर प्रभाव वाले 43 ऐसे मामलों का पता लगाया। तीन मामलों के उदाहरण नीचे दिए गए हैं।

³¹ दिसम्बर 2008 में ₹ 93 करोड़ की आय पर निर्धारित।

³² दिसम्बर 2008 में ₹ 885.6 करोड़ की हानि पर निर्धारित।

ए. प्रभार: सीआईटी-1, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, निर्धारण वर्ष: 2003-04

अधिनियम की धारा 47 (VI बी) के अनुसार मूल कम्पनी के अविलयन के परिणामस्वरूप निर्मित कम्पनी द्वारा पूंजीगत परिसम्पत्तियों का हस्तान्तरण पूंजीगत हानि निश्चित करने के प्रयोजन हेतु हस्तान्तरण नहीं माना जाएगा।

जेके इण्डस्ट्रीज लिमिटेड³³ को ₹ 503.6 करोड़ की दीर्घावधि पूंजीगत हानि अनुमत की गई थी। पूंजीगत हानि अनुज्ञेय नहीं थी क्योंकि निर्धारिती कम्पनी, जो विखण्डन तथा अविलयन के माध्यम से अपनी मूल कम्पनी से बनी थी,

ने समान ग्रुप की अन्य कम्पनी को अपनी यूनिट हस्तान्तरित की थी। ऐसे हस्तान्तरण पर पूंजीगत हानि निश्चित करने के लिए विचार नहीं किया जा सकता है। तदनुसार पूंजीगत हानि को अनुमत नहीं किया जाना चाहिए था। इस प्रकार दीर्घावधि पूंजीगत हानि की अनियमित अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 105.8 करोड़ के कर का सम्भावित कम उद्ग्रहण हुआ।

बी. प्रभार: सीआईटी-1, दिल्ली, निर्धारण वर्ष: 2005-06

धारा 72 के अनुसार, किसी निर्धारण वर्ष की हानि का बाद के आठ निर्धारण वर्षों के लाभों तथा अभिलाभों के प्रति अग्रेनयन तथा समंजन किया जा सकता है।

भारती टेलीवेंचर्स लिमिटेड³⁴ के मामले में दाखिल विवरणी के आधार पर निर्धारण अधिकारी ने समामेलन कम्पनी की ₹ 153.9 करोड़ की अग्रेनीत हानि तथा ₹ 109 करोड़ के अनावशोषित मूल्यह्रास का

समंजन अनुमत किया। तथापि समंजित की जाने वाली निर्धारित कारबार हानि केवल ₹ 55.3 करोड़ थी। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 76 करोड़ के सम्भावित कर प्रभाव के साथ ₹ 207.6 करोड़ की हानि का अधिक समंजन हुआ।

सी प्रभार: सीआईटी फरीदाबाद, हरियाणा, नि.व. 2006-07

धारा 72 के अनुसार किसी निर्धारण वर्ष की शुद्ध हानि का आगामी आठ निर्धारण वर्षों के लाभों तथा अभिलाभों के प्रति अग्रेनयन तथा समंजन किया जा सकता है।

नैशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड³⁵ को निर्धारण वर्ष 2005-06 में निर्धारित ₹ 131.7 करोड़ के अतिरिक्त आय को घटाए बिना ही उनके द्वारा वापिस

की गई ₹ 734.1 करोड़ की हानियों/ अनावशोषित मूल्यह्रास को आगे ले जाने दिया गया था। इससे ₹ 44.4 करोड़ के कर के संभावित उद्ग्रहण सहित ₹ 131.7 करोड़ की हानि का अतिनिर्धारण हुआ।

³³ मार्च 2006 में "शून्य" आय पर निर्धारित।

³⁴ दिसम्बर 2007 में ₹ 860.2 करोड़ की आय पर निर्धारित।


³⁵ दिसम्बर 2008 में ₹ 668.4 करोड़ की हानि तथा लेखागत लाभ पर निर्धारित।

3.4 निर्धारित न की गई/कम निर्धारित की गई आय

किसी विगत वर्ष के लिए एक व्यक्ति की कुल आय में से किसी भी प्रकार से कमाई गई आय, वास्तव में प्राप्त या कमाई गई या प्राप्त अथवा कमाई गई के रूप में मानी गई सभी आय शामिल होंगी।

दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में ₹ 31.2 करोड़

चार्ट 3.4 : निर्धारित न की गई/कम निर्धारित की गई आय



के कर प्रभाव वाले 17 मामलों में आय को निर्धारित नहीं किया/कम निर्धारित किया गया। उप-श्रेणीवार विवरण (कर प्रभाव पर आधारित) चार्ट 3.4 में दर्शाया गया है। उपवर्गों पर चर्चा नीचे की गई है:

3.4.1 मैट³⁶ सहित विशेष प्रावधानों के तहत आय का कम निर्धारण/कम निर्धारित आय

दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में ₹ 27.6 करोड़ के कर प्रभाव सहित 14 मामलों में अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अधधीन आय के निर्धारण के लिए सम्बद्ध प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ। दो मामलों का उदाहरण नीचे दिया गया है:

ए. प्रभार: सीआईटी-1, जोधपुर, राजस्थान; नि.व. 2006-07

धारा 115जेबी के अनुसार शुद्ध लाभ में सम्बद्ध परिवर्धन करने के पश्चात खाता लाभ कर लगाए जाने के लिए आंकलित (एमएटी) किया जाना है।

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड³⁷ के मामले में, नि.अ. ने खाता लाभ को आंकलित करते समय, ह्रास की राशि को गलत निर्धारित किया। फलस्वरूप सही राशि ₹ 89.4 करोड़ के

प्रति ₹ 9.4 करोड़ से खाता लाभ आंकलित किया गया। गलती के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 9 करोड़ के कर का उदग्रहण कम हुआ।

³⁶ मैट: मिनिमम अलटर्नेट टैक्स-निगम द्वारा नियमित आय कर के मामले में लेखा तथा लाभ की विशेष प्रतिशतता कम होने पर सकल लाभ के निर्धारित जमाओं की तैयारी के लिए निगम के लाभ खातों में दस प्रतिशत की दर से लगाया गया कर।

³⁷ दिसम्बर 2008 में 'शून्य' आय से निर्धारित।

बी. प्रभार: सीआईटी भोपाल, मध्य प्रदेश, नि.व. 2007-08

धारा 115जेएए के अनुसार धारा 115जेबी के अन्तर्गत पहले प्रदत्त कर हेतु अगले निर्धारण वर्ष में कर लाभ लिया जा सकता है।

एचईजी लिमिटेड³⁸ को निर्धारण वर्ष 2006-07 से सम्बद्ध ₹ 4.07 करोड़ का कर लाभ अनुमत किया गया था हाँलाकि कर धारा 115 जेबी के प्रावधानों के

अन्तर्गत खाता लाभ पर अनुमत नहीं था तथा इस प्रकार कर लाभ अनुमत न था। इस चूक के कारण ब्याज सहित ₹ 4.6 करोड़ का कर कम उदग्रहित हुआ।

3.4.2 पूंजी लाभों का गलत श्रेणीकरण तथा आंकलन

हमें आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में ₹ 2.8 करोड़ के कर प्रभाव वाले पूंजी लाभों के गलत वर्गीकरण तथा आंकलन के दो मामले मिले। एक का उदाहरण नीचे दिया गया है:

प्रभार: सीआईटी-1 चेन्नई, तमिलनाडु, नि.व. 2003-04

धारा 45 में प्रावधान है कि पूंजीगत सम्पदा के हस्तांतरण से प्राप्त किसी लाभ पर जिस वर्ष हस्तांतरण हो उस वर्ष "पूंजीगत लाभ" शीर्षक के अन्तर्गत कर लगाया जाएगा। वीएसएमआर जगदीश चन्द्रन बनाम सीआईटी (227 आईटीआर 240) के मामले के निर्णय के अनुसार जब कोई सम्पत्ति उस पर देय कर्ज के साथ बेची जाती है कर्ज की राशि अधिग्रहण की कीमत अथवा संशोधन की कीमत के लिए नहीं विचारी जा सकती।

डिगीविजन इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड³⁹ ने पूंजीगत लाभों का आंकलन करते समय संशोधन की कीमत के लिए ₹ 3.7 करोड़ की छूट का दावा किया। इसे अननुमत किया जाना

चाहिए था चूंकि ₹ 3.7 करोड़ की राशि निर्धारिती द्वारा अपने आप दिए गए कर्ज के प्रति भुगतान की गई थी जिसे संशोधन की लागत नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त ₹ 1.6 करोड़ की राशि का बिना किसी उचित साक्ष्य के सम्पत्ति की बिक्री के लिए किए गए खर्चों के लिए दावा किया गया था। पूंजीगत लाभों में इन खर्चों को अननुमत करने की विफलता के फलस्वरूप निर्धारण ₹ 1.7 करोड़ के कर के कम उदग्रहण तथा ₹ 13.4 लाख के संभाव्य कर प्रभाव से समपन्न हुआ।

3.4.3 आर्मस लैन्थ प्राइस का गलत आंकलन⁴⁰

हमने आर्मस लैन्थ प्राइस के गलत आंकलन का ₹ 80.6 लाख के कर प्रभाव वाला एक मामला देखा।

³⁸ जुलाई 2008 में ₹ 43.8 करोड़ की आय से निर्धारण प्रक्रिया संक्षिप्त रूप में पूरी की गई।

³⁹ मार्च 2005 में 'शून्य' आय से निर्धारित।

⁴⁰ आर्मस लैन्थ प्राइस से आशय उस मूल्य से है जो अनियमित परिस्थितियों में सम्बद्ध उद्यमियों से इतर व्यक्तियों के बीच किसी संव्यवहार के लिए उपयोग किया जाता है या उपयोग किए जाने के लिए प्रस्तावित किया जाता है।

प्रभार: सीआईटी-I पुडुच्चेरी, तमिलनाडु; नि.व. 2004-05

धारा 92सी(3) के अन्तर्गत नि.अ. हस्तांतरण मूल्यांकन अधिकारी द्वारा आर्मस लैन्थ प्राइस के लिए निश्चित की गई सकल आय का आंकलन करेगा।

टवीज़रमेन (इण्डिया) प्रा. लिमिटेड⁴¹ के मामले में नि.अ.ने अन्तरराष्ट्रीय संव्यवहारों से आय का आंकलन करते समय हस्तांतरण मूल्यांकन अधिकारी ने निर्धारित


₹ 5.2 करोड़ की अपेक्षा निर्धारिती द्वारा अपनाए गए ₹ 3.5 करोड़ के आर्मस लैन्थ प्राइस को अपनाया। इसके फलस्वरूप ब्याज सहित ₹ 80.6 लाख के कर का उदग्रहण कम हुआ।

3.5 अन्य

टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानों को लागू करते हुए हुई अपीलीय आदेशों को प्रभावी बनाते हुए चूकों तथा कर के अधिप्रभार तथा ऋणों/ऋणों पर ब्याज को माफ करने/अधित्याग करने सम्बन्धी मामलों का निर्धारण न करने के मामलों पर इस श्रेणी में चर्चा की गई है।

₹ 106.4 करोड़ के कर प्रभाव वाले 27 अन्य मामले हुए। 16 मामलों में ₹ 30.5 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ तथा आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल में 11 मामलों में ₹ 75.9 करोड़ के कर का

चार्ट 3.5 : अन्य



अधिउदग्रहण हुआ। उपश्रेणीवार (कर प्रभाव पर आधारित) विवरण चार्ट 3.5 में दर्शाए गए है। उपश्रेणियों पर चर्चा नीचे की गई है:

3.5.1 अपीलीय आदेशों को प्रभावी बनाते हुए निर्धारण में की गई गलतियाँ

हमने पाया कि ₹ 5.4 करोड़ के कर प्रभाव वाले चार मामलों में गुजरात, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल में अपीलीय आदेशों को सही ढंग से प्रभावी नहीं बनाया गया था। एक मामले पर चर्चा नीचे की जा रही है:

प्रभार: सीआईटी-IV नागपुर, महाराष्ट्र; नि.व. 2001-02

अपीलीय आदेश को प्रभावी करते हुए नि.अ. को निर्धारिती की कुल आय का शुद्ध आंकलन करना चाहिए तथा निर्धारिती द्वारा भुगतान योग्य कर की सही राशि निर्धारित करनी चाहिए।

बलारपुर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड⁴² का आंकलन करते हुए ₹ 5.9 करोड़ नि.अ. द्वारा अननुमत किए गए जिसे जून 2004 में सीआईटी (ए) द्वारा अनुमत कर दिया गया। तदनुसार अगस्त 2004 में नि.अ. ने ₹ 5.9 करोड़ की

छूट अनुमत करते हुए इस आदेश को प्रभावी बना दिया। तत्पश्चात आईटीएटी ने मामले को नि.अ. को नए रूप से विचार करने के लिए फिर से भेजा। नि. अ. ने दिसम्बर 2008 में अपीलीय आदेश को मानते हुए सीआईटी (अपील) के आदेश को

⁴¹ दिसम्बर 2006 में ₹ 4.1 करोड़ की आय पर आंकलित।

⁴² संवीक्षा निर्धारण मार्च 2004 में पूरा किया गया।

प्रभावी बनाते हुए आदेश में दी गई कुल आय को लिया तथा ₹ 5.9 करोड़ की छूट की दूसरी बार अनुमति दे दी। इससे ₹ 2.3 करोड़ के संभाव्य कर प्रभाव वाली समान राशि की दौहरी छूट अनुमत हुई।

3.5.2 टीडीएस/टीसीएस की छूट के प्रावधानों के अनुपालन में चूक

हमने पाया कि नि.अ. आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में ₹ 2.9 करोड़ के कर प्रभाव वाले दो मामलों में टीडीएस/टीसीएस की छूट के प्रावधानों को लागू करने में विफल रहे। दोनों मामलों पर नीचे चर्चा की जा रही है:

ए. प्रभार: सीआईटी-III, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश, नि.व. 2005-06

धारा 40(ए)(आईए) के प्रावधानोंके अनुसार जहाँ टीडीएस नहीं काटा गया है खर्चों की छूट (ऐसे भुगतान करते हुए) अनुमत नहीं की जानी चाहिए।

नि. अ. ने **वैन्कट फार्मा लिमिटेड**⁴³ को निर्यात बिक्रियों पर कमीशन के भुगतान के लिए किए गए ₹ 2.9 करोड़ के खर्च अनुमत किए। क्योंकि इस राशि पर स्रोत पर कर नहीं काटा गया था, इसे अननुमत किया जाना चाहिए था। इस व्यय को अननुमत करने की विफलता के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 1.5 करोड़ के कर का उदग्रहण कम हुआ।

बी. प्रभार: सीआईटी-I कोयम्बतूर, तमिलनाडु; नि.व. 2006-07

धारा 40(ए)(आईए) के प्रावधानोंके अनुसार जहाँ टीडीएस नहीं काटा गया है खर्चों की छूट (ऐसे भुगतान करते हुए) अनुमत नहीं की जानी चाहिए।

शान्ति गीयर्स लिमिटेड⁴⁴ को ₹ 4.1 करोड़ की ब्याज (₹ 1.6 करोड़ विदेशी मुद्रा में) तथा विज्ञापनों (₹ 2.5 करोड़ जिसमें ₹ 49.4 लाख का विदेशी मुद्रा में किया गया व्यय शामिल है) की अदायगियों पर किए गए व्यय, जिनमें स्रोत पर कर नहीं काटा गया था, अनुमत किया। ₹ 4.1 करोड़ के व्यय को अननुमत करने में हुई चूक के फलस्वरूप ₹ 1.4 करोड़ के कर का उदग्रहण कम हुआ।

3.5.3. अन्य विषय

अधिप्रभारित कर

ए. सीआईटी-सम्बलपुर, उड़ीसा; नि.व. 2006-07

अधिनियम की धारा 143(3) के प्रावधानों के अनुसार, नि.अ. को निर्धारिती की कुल आय का निर्धारण सही करना होता है तथा निर्धारिती द्वारा भुगतानयोग्य कर की सही राशि का निर्धारण करना होता है।

महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड⁴⁵ को नि.अ. ने पहले तो लाभ हानि खाते में भूमि के सुधार के लिए दर्शाए गए ₹ 6.7 करोड़ के व्यय तथा तुलनपत्र में उपरोक्त उद्देश्य के प्रावधानों के लिए दर्शाए गए

⁴³ सितम्बर 2006 में ₹ 37.3 लाख की आय पर निर्धारित।

⁴⁴ मई 2008 में ₹ 34.1 करोड़ की आय पर निर्धारित।

⁴⁵ दिसम्बर 2008 में पूरा किया गया निर्धारण।

₹ 53.5 करोड़ के व्यय को अनुमत किया तथा बाद में उसी प्रावधान के प्रति आय में ₹ 53.5 करोड़ की अनुवृद्धि की गई। इसके फलस्वरूप ₹ 28.5 करोड़ का कर अधिप्रभारित हुआ।

बी. प्रभार: सीआईटी-1, मुम्बई, महाराष्ट्र; नि.व. 2005-06

अधिनियम की धारा 143(3) के प्रावधानों के अनुसार, नि.अ. को निर्धारिती की कुल आय का निर्धारण सही करना होता है तथा निर्धारिती द्वारा भुगतानयोग्य कर की सही राशि का निर्धारण करना होता है।

महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन⁴⁶ के नि.अ. ने अधिनियम की धारा 43बी के अन्तर्गत ब्याज के अप्रदत्त दायित्व के प्रति ₹ 58.1 करोड़ के व्यय को अननुमत किया। चूंकि इस राशि को न तो डेबिट

किया गया था और न ही लेखा पुस्तिकाओं में कोई प्रावधान रखा गया था, इस व्यय को फिर से जोड़ा जाना अनियमित था। इसके कारण ₹ 21.3 करोड़ के संभाव्य कर का अधिप्रभारण हुआ।

3.5.4 कर हेतु अनिर्धारित ऋण को माफ करना/त्यागना

ऋण को माफ करने/अधित्यागित करने से प्राप्त आय का कर हेतु निर्धारण नहीं किया गया था तथा आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में ₹ 98.1 करोड़ के कर प्रभाव वाले 21 मामलों में ब्याज गलत रूप में उदग्रहित किया गया। एक मामले पर चर्चा नीचे की गई है:

प्रभार: सीआईटी-1, त्रिच्चि, तमिलनाडु ; नि.व. 2005-06

अधिनियम की धारा 41(1) के प्रावधानों के अनुसार ऋण/ऋण पर ब्याज से माफी/अधित्यागन पर कर लगाया जाना है। टी.वी. सुन्दरम अयैन्गर एण्ड एन्स लिमिटेड बनाम सीआईटी (222 आईटीआर 344){एससी} के मामले में हुए निर्णयानुसार दायित्व का समापन मानी गई आय होती है।

सी होर्स होस्पिटलस (प्रा) लिमिटेड⁴⁷ ने बैंक से ₹ 2.8 करोड़ के ऋण की माफी पाई। दायित्व का समापन मानी गई आय होती है। उसे निर्धारित करने की

चूक के कारण ₹ 26.9 लाख के संभाव्य कर प्रभाव सहित ₹ 76.2 लाख के कर का कम उदग्रहण हुआ।

⁴⁶ दिसम्बर 2007 में 'शून्य' पर निर्धारित।

⁴⁷ दिसम्बर 2007 में ` 73.4 लाख की हानि पर आंकलित।